

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा संख्या 07/23

सन् 2023

GCMS NO-2023/53

बउनवानी:- 1. घीसी पुत्री कल्याण पत्नि हरिभजन जाति गुर्जर निवासी रईथा खुर्द, हाल निवासी कुण्डेर तहसील उनियारा जिला टोंक

2. गल्ली पत्नि कल्याण जाति गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तह0, सवाईमाधोपुर
बनाम

1. नानगी पत्नी कजोड गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
2. बर्मा पुत्री कजोड गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
3. बरमेश पुत्री कजोड गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
4. ममता पुत्री कजोड गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
5. नटी पुत्री कजोड गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
6. देवपाल पुत्र छीतर गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
7. रामस्वरूप पुत्र छीतर गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
8. श्योजी पुत्र छीतर गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
9. स्वरूपी पुत्र छीतर गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
10. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा संख्या 288 दिनांक 07.01.1983 वाके ग्राम रईथा खुर्द तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:- 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

वकील अपीलान्ट

2. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल / श्री शिवचरण सोनी

वकील रेस्पोजेन्ट

-: निर्णय :-

दिनांक 3.12.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा संख्या 288 निर्णय दिनांक 7.1.1983 वाके ग्राम रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक कल्याण पुत्र भोरया के वारिसान की जाँच ग्राम पंचायत से करवाये बिना ही अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है, क्योंकि मृतक कल्याण की पत्नि अपीलान्ट संख्या 2 व कल्याण की पुत्री अपीलान्ट संख्या 1 को कल्याण की विरासत मे हिस्सा नही दिया गया है। अर्थात कल्याण के सभी विधिक वारिसान के नाम से आदेश जैर अपील नामा संख्या 288 नही खोला गया है। यह तर्क भी दिया कि 45 दिवस तक नामा तस्दीक करने का अधीनस्थ ग्राम पंचायत को प्राप्त होता है किन्तु यह नामा मात्र 1 दिन मे ही तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जल्दबाजी मे मृतक के विधिक वारिसान की जाँच किये बिना ही राजस्व अभियान के

.....(1).....

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर



दौरान अपने आकड़े पूरे करने के लिए दर्ज फैसल कर दिया है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा यह नामा0 दर्ज फैसल किया जाता तो सभी विधिक वारिसान की जाँच हो जाती परन्तु केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 25.3.2023 को अपीलान्ट संख्या 1 अपनी माँ अपीलान्ट संख्या 2 से मिलने गांव आने पर अपीलान्ट संख्या 1 की भाभी रेस्पो. संख्या 1 ने अपीलान्ट गल्ली के साथ अभद्र व्यवहार कर गांव में स्थित कृषि भूमि व मकान में किसी तरह का अधिकार नहीं होने बाबत विवाद करने पर प्रार्थीया ने दिनांक 29.3.2023 को साबिक जमाबन्दी प्राप्त करने हेतु नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत करके एवं नामा0 की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करके नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई है। जानकारी के अभाव में हुई देरी को न्यायहित में कन्डोन किये जाने बाबत निवेदन करते हुए अपील अपीलान्ट दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने द्वौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील प्रथम तो मयाद बाहर है इसलिए खारिज योग्य है। क्योंकि 40 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण नहीं बताया है। अपीलान्ट संख्या 1 का यह कहना भी गलत है कि रेस्पो0 द्वारा उसको गांव में नहीं आने की धमकी दी गयी है। अपीलान्ट संख्या 2, रेस्पो. संख्या 1 की सास होने के कारण उसकी सार सम्भाल रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा की जा रही है। अपीलान्ट द्वारा किया गया यह कथन कि "यदि अपीलान्टगणों का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होता तो उनका गांव में इज्जत व सम्मान होता " से आदेश जैर अपील की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व से होने की पुष्टि हो जाती है। अतः मयाद बाहर प्रस्तुत अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील लगभग 40 वर्ष बाद पेश करने का कोई विधिसम्मत कारण नहीं बताया गया है तथा अपीलान्ट को मान सम्मान नहीं मिलने के कारण यह अपील पेश करने बाबत किये गये कथन को देरी का उचित/वैद्य कारण नहीं माना जा सकता है। जहाँ तक अपीलान्ट के मान सम्मान का मामला है तो यह दोनों पक्षों का व्यक्तिगत मामला है यदि अपीलान्ट चाहे तो नियमानुसार अपने अधिकार तय करवाने हेतु उदघोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में दायर कर सकता है। अतः अपील अपीलान्ट मयाद बाहर प्रस्तुत होने के कारण आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर